न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 42 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. केसराराम पुत्र कोहलाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट, शिवजी नगर (कानासर) तहसील शिव जिला बाड़मेर।	बनाम	1.लुम्भाराम पुत्र सोनाराम 2.खेतू पत्नी सोनाराम 3.रामजीराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट शिवाजी नगर(कानासर) तहसील शिव जिला बाड़मेर 4.श्रीमान तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 49 / 2010 बअनवान सोनाराम बनाम केसराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.04. 2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेतनराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बालाराम गोदारा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा शिवाजी नगर, पटवार क्षेत्र कानासर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 66, 67, 246, 323 / 246 रकबा क्रमशः 69.01, 01.08, 22.04, 04.05 बीघा कुल रकबा 96.18 बीघा आया हुआ है। अधीनस्थ न्यायाल द्वारा अपीलांट के नाम नोटिस जारी ही नहीं किये नोटिस जारी किये बिना तामील होना संभव नहीं है। वादी के वकील एवं वादी ने मिलावट कर वकील हरीराम चौधरी का वकालतनामा प्रतिवादीगण की तरफ से पेश कर जबाव हेतु पत्रावली पेशी दर पेशी आगे चलती रही एवं दिनाक 05.12.2011 को वकील प्रतिवादीगण द्वारा तथाकथित जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया एवं वादी के वाद को स्वीकार किया। वादी के वाद को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार करने की सूरत में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य लिये बिना ही सीधी बहस सुनी जाकर दिनांक 05.12.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार शिव को निर्देश दिये कि पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावे। मौका कमीश्नर ने न तो अपीलांट को कोई नोटिस दिया एवं न ही कभी मौके पर आये वादी के कायम मुकाम के प्रभाव में आकर मौका कमीश्नर ने एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया जो। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालल द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं जाकर मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया इसके बावजूद भी दिनांक 08.04.2013 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। अधिवक्ता रेसपोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया

RRT 2007(1) Page 370

अतः अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। आज से 15 रोज पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 अपीलांट के हिस्से वाली भूमि में सूड़ करने लगे तथा जबरदस्ती कब्जा करने लगे तब अपीलांट द्वारा मना किया तो उतरदातागण ने बताया कि इस खेत का बंटवाड़ा हो चुका है और यह जमीन हमारे बंट की है आप अपनी ढाणी, टांके हटा लो नही तो हम जेसीबी मशीने लाकर आपकी ढाणी को तोड़ देंगें तब अपीलांट ने अपना वकील मुकर्रर कर उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 03.07.2015 को प्राप्त की तब अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2007(2) Page 939
RRT 2011(1) Page 614
RRT 2010(2) Page 801
DNJ (Raj) 2016(1) Page 201

अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तओं की बहस पर मनन करने एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों के ध्यानपूर्वक अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी केसे हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 02 वर्ष 02 माह की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि पत्रावली पर मैरिट की बहस भी सुनी जा चुकी है। अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर भी करना न्यायालय उचित समझता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) शिव स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 08.04.2013 को अंतिम डिक्री जारी की गई। मौका फर्द दिनांक 05.04.2013 के संलग्न तहसीलदार शिव द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर युक्त रंगीन नक्शा पेश किया गया है जिस पर अपीलांट के पुत्र जीवणाराम पुत्र केसराराम के हस्ताक्षर है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एव सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2010 बअनवान सोनाराम बनाम केसराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.04.2013 को यथावत रखा जाता है।

29/11/19

(नाथूसिंह सांडू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner